

डिक्री व मुकदमें इब्तादाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत व इजलास **सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन** मुकाम **चौहटन**
कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

अनवान :-

वादी - 1.रामपुरी चेला जगदीशपुरी, जाति साद, निवासी चौहटन
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण -


1.वीरमसिंह पुत्र बस्तसिंह 2.रुखमों पत्नि लखसिंह 3.हड़वंतसिंह पुत्र धनसिंह, जाति राजपूत,
निवासी घोनिया, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर 4.सायरकंवर पत्नि सवाईसिंह,
जाति राजपूत, निवासी 163 मोहननगर, जिला पाली 5.खेतूकंवर पुत्री जबरसिंह,
जाति राजपूत, निवासी घोनिया, तहसील चौहटन 6.जोरसिंह 7.कुम्पसिंह पि.अमरसिंह,
जाति राजपूत, निवासी सुवाला, तहसील शिव 8.मूलसिंह 9.कमलसिंह पि. हड़वंतसिंह
10.सबलसिंह 11.शैतानसिंह पि.गेमरसिंह 12.प्रताबा पत्नि गेमरसिंह 13.दुर्गसिंह 14.आसूसिंह
पि.बलवंतसिंह 15.मोरुकंवर पत्नि बलवंतसिंह 16.भूरसिंह पुत्र शिवदानसिंह, जाति राजपूत,
निवासी घोनिया, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर 17.तहसीलदार चौहटन

वाद अर्न्तगत धारा 53,188 RT Act.

मुकदमा नं. 54/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु.व.रु. न्यायालय बहाजरी श्री शाकर खान एच. एड. मिनजानिव मुदाई व श्री एड . मिनजानिव मुदायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसील चौहटन के मौजा घोनिया, पटवार क्षेत्र ढोक के खेत खसरा सं. 138 रकबा 13.9859 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त विवादित खसरों की भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते है। लगातार शेष पृष्ठ पर..... वीज मबलिंग बाबत पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक को अदा करे।

वसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 10.06.2025 को जारी की गई।



दस्तखत.....
ओहदा **सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन**

मुदई	रुपया	प	मुदायलाह
स्टाम्प अर्चीदिया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पहमनामा वकीले खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिफ.			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिफ
मीजान			



नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकन का चाहे विकरी के जरिये दिलावे करना।

नम्बर व
अहकाम को
में जारी

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 54 / 2022

पीठाधीनस्थ अधिकारी

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्लियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर)	किरम	लगान	वरग
1	रामपुरी चेला जगदीशपुरी, जाति साद, सा.देह खातेदार	घोनिया	138	00.6556	वा.दो.	00.25	लाल
2	आसूसिंह पुत्र बलवंतसिंह, मोरुकंवर पत्नि बलवंतसिंह, रूखमों पत्नि लखसिंह, वीरमसिंह पुत्र बस्तसिंह, शैतानसिंह, सबलसिंह पि.गेमरसिंह, सायरकंवर पुत्री जबरसिंह, हड़वंतसिंह पुत्र धनसिंह, कुम्पसिंह पुत्र अमरसिंह, कमलसिंह पुत्र हड़वंतसिंह, खेतूकंवर/जबरसिंह, जोरसिंह पुत्र अमरसिंह, दुर्गसिंह पुत्र बलवंतसिंह, प्रताबा पत्नि गेमरसिंह, भूरसिंह पुत्र शिवदानसिंह, मूलसिंह पुत्र हड़वंतसिंह, कौम राजपूत, सा.देह खातेदार	घोनिया	138	13.3303	वा.दो.	04.09	हरा

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।



(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन
सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 54 / 2022

पीठासीन अधिकारी – कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस., आर.ए.एस

अनवान

वादी –

1.रामपुरी चेला जगदीशपुरी, जाति साद, निवासी चौहटन
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण –

1.वीरमसिंह पुत्र बस्तसिंह 2.रुखमों पत्नि लखसिंह 3.हड़वंतसिंह पुत्र धनसिंह, जाति राजपूत,
निवासी घोनिया, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर 4.सायरकंवर पत्नि सवाईसिंह,
जाति राजपूत, निवासी 163 मोहननगर, जिला पाली 5.खेतूकंवर पुत्री जबरसिंह,
जाति राजपूत, निवासी घोनिया, तहसील चौहटन 6.जोरसिंह 7.कुम्पसिंह पि.अमरसिंह,
जाति राजपूत, निवासी सुवाला, तहसील शिव 8.मूलसिंह 9.कमलसिंह पि. हड़वंतसिंह
10.सबलसिंह 11.शैतानसिंह पि.गेमरसिंह 12.प्रताबा पत्नि गेमरसिंह 13.दुर्गसिंह 14.आसूसिंह
पि.बलवंतसिंह 15.मोरुकंवर पत्नि बलवंतसिंह 16.भूरसिंह पुत्र शिवदानसिंह, जाति राजपूत,
निवासी घोनिया, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर 17.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण –

वादी वकील – श्री शाकर खान एच.
प्रतिवादीगण वकील – एकतरफा

निर्णय

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 RT Act.

दिनांक :- 10.06.2025



उपरोक्त वाद में न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौहटन से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील की एकतरफा बहस सुनी गई। वादी वकील ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद निर्णित किया जावे। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि वादी का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायहित में तहसीलदार चौहटन से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव अनुसार तहसील चौहटन के मौजा घोनिया, पटवार क्षेत्र ढोक के खेत खसरा सं. 138 रकबा 13.9859 हैक्टेयर के आये हुए है। उक्त विवादित भूमि सारणी


सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

में वर्णित हिरसानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं।

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्लिदयत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर)	किस्म	लगान	बरग
1	रामपुरी चेला जगदीशपुरी, जाति साद, सा.देह खातेदार	घोनिया	138	00.6556	वा.दो.	00.25	लाल
2	आसूसिंह पुत्र बलवंतसिंह, मोरुकंवर पत्नि बलवंतसिंह, रूखमों पत्नि लखसिंह, वीरमसिंह पुत्र बस्तसिंह, शैतानसिंह, सबलसिंह पि.गेमरसिंह, सायरकंवर पुत्री जबरसिंह, हड़वंतसिंह पुत्र धनसिंह, कुम्पसिंह पुत्र अमरसिंह, कमलसिंह पुत्र हड़वंतसिंह, खेतूकंवर/जबरसिंह, जोरसिंह पुत्र अमरसिंह, दुर्गसिंह पुत्र बलवंतसिंह, प्रतावा पत्नि गेमरसिंह, भूरसिंह पुत्र शिवदानसिंह, मूलसिंह पुत्र हड़वंतसिंह, कौम राजपूत, सा.देह खातेदार	घोनिया	138	13.3303	वा.दो.	04.09	हरा

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) मय नक्शे निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कुसुमलता चौहान)
 सहायक कलक्टर
 (फास्ट-ट्रेक) चौहटन
 सहायक कलक्टर
 (फास्ट-ट्रेक) चौहटन

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

में रामपुत्री (नाम) तहसीलदार ... न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, ... के आदेश क्रमांक 54/1/2022 दिनांक 29.01.24 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 29.01.25 समय 2 बजे आराजी खसरा नम्बर-138 वाले ग्राम दोनीपा पटवार हल्का ... पर श्री ... नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, ... में विचाराधीन प्रकरण संख्या-... के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक ... दिनांक 29.01.24 द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
01	अरवि	विपिन	20	राजपूत	उपस्थित
02	अरवि	विपिन	50
03	अरवि	विपिन	74
04	श्रीलक्ष्मी	विपिन	68
05	रामपुत्री	जगदीश	35	...	वादी

रामपुत्री

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयजा मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी	क्षेत्रफल	दस्तावेज
01	दोनीपा	रामपुत्री	138	0.6556
		जगदीश पुत्री		0.25
		नाद

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)


तहसीलदार (भूमि) बाहलपुर

कृष्णा

क्र.सं.	आवक	जात कोटिदल परिवार	बाल	रकबा	प्रिम	लाभ	ईत
02	द्वोरा	आर सिंह पुत्र कालवन्त सिंह गोपबन्त पत्नी कालवन्त सिंह कविगोप पत्नी लख सिंह वीरग सिंह पुत्र बाल सिंह श्री लाल सिंह पुत्र गोमर सिंह तलल सिंह पुत्र डोगर सिंह सामरबन्त पुत्री जगद सिंह हज्जल सिंह पुत्र खन सिंह सुभा सिंह पुत्र आभार सिंह कमल सिंह पुत्र हज्जल सिंह अनन्त पत्नी जगद सिंह जोग सिंह पुत्र आभार सिंह दुर्गा सिंह पुत्र कालवन्त सिंह प्रताप पत्नी गोमर सिंह अर सिंह पुत्र शिवराम सिंह गुल सिंह पुत्र हज्जल सिंह माँदे रापरत लखवन्त	138	13330	बादो	4.07	551

Ex-count

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन



प्रताप सिंह नन्वा
का नाना (केआनग ईट)
उपस्थित (प्रतिवादी गण
नदमत पारिषद)

● बडेगालवादी गण

● बडेगदरा प्रतिवादी गण

137
नहरीलदार (भू.अ.) चौहटन

अ.सिंह
सुभा

अ.सिंह सुभा

21 नवम्बर

श्रीमान

अ.सिंह सुभा

उक्त विभाजन प्रस्ताव मीके पर आवेष्टित पक्षकारों और मीतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मीके पर आवेष्टित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर लिख्न प्रकार हस्ताक्षर किये :

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	हस्ताक्षर	वादी/ प्रतिवादी
01	अमल सिंह	वि. नदी सिंह	45	राजपूत		प्रतिवादी
02	अमल सिंह	हर. नदी सिंह	45	राजपूत		प्रतिवादी
03	मन लाल सिंह	अमल सिंह	45	राजपूत		प्रतिवादी
04	श्रीनिवास सिंह	अमल सिंह	45	राजपूत		प्रतिवादी
05	श्रीनिवास सिंह	अमल सिंह	45	राजपूत		प्रतिवादी

लिख्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़ सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी

मीके पर अन्य मीतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और लिख्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ गोबाईल नं.
01	मनदीन सिंह	अमल सिंह	40	राजपूत	3769662821
02	वामन सिंह	अमल सिंह	26	राजपूत	8555659696

इस प्रकार आज दिनांक 19/01/19 को यह मीका रिपोर्ट तैयार की गई है।

हस्ताक्षर
पट्टाई
पं. सं.

श. अ. निरीक्षक
पूत...

हस्ताक्षर
ना. तह.
.....

तहसीलदार (भ.अ.) चौहान
तहसीलदार